

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या - 108/2020

पीठासीन अधिकारी - अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

## उनवान

1 रुकमा देवी पत्नि नाथुलाल तेली उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज \_\_\_\_\_( प्रार्थीया)

## बनाम

- देवी पिता ज्वारा कीर उम्र वयस्क निवासी खेडा राजपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
- प्रहलाद पिता दुर्गा कीर उम्र वयस्क निवासी खेडा राजपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
- लादु पिता कल्याण कीर उम्र वयस्क निवासी खेडा राजपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
- मोडा पिता सुजा कीर उम्र वयस्क निवासी खेडा राजपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
- रायमल पिता लादु गुर्जर उम्र वयस्क निवासी खेडा राजपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज. \_\_\_\_\_( अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- विजय पाराशर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 15.07.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय में दिनांक 04.11.2020 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम धनोप पटवार मण्डल धनोप भू.अ.नि. धनोप तहसील फुलियाकंला में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 769 के आ.न. 1572/4062, 1573, 1574/3693, 1578, 1579, 1579/3694, 1580/3692, 1581, 1581/4061, 1581/4063, 1582, 1598/3695, 1599, 1600, 1608/3696 किता 15 रकबा 3.76 हैक्टेयर, भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 04.11.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई दिनांक 08.07.2021 पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थीया को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

## आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम धनोप पटवार मण्डल धनोप भू. अ.नि. धनोप तहसील फुलियाकंला में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 769 के आ.न. 1572/4062, 1573, 1574/3693, 1578, 1579, 1579/3694, 1580/3692, 1581, 1581/4061, 1581/4063, 1582, 1598/3695, 1599, 1600, 1608/3696 किता 15 रकबा 3.76 हैक्टेयर, भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक धनोप को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुद्रा की मूल् बिनदू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालना तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी,  
फुलियाकंला, जिला भीलवाड़ा